While Palekar's award has been implemented by other Tamil Dailies in Tamil Nadu, *Makkal Kural*, has completely denied the rights of the workers. Further, the Management had indulged in violation of the Customs Act by giving false declaration with regard to import of printing machine from U.S.A.

The Management has totally rejected conciliation with workers. I, therefore, request the Minister for labour to interfere in this matter to lift the lockout and to resume the Madurai edition without any victimisation and save the workers from starvation.

(vi) Increase in number of dacoities, murders and lootings in Saidpur (U.P.)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सैदपुर की अत्यन्त विषम स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के सैदपुर क्षेत्र में डकैती, हत्यायें, फर्जी मुठभेड़, लूट-पाट की इतनी घटनायें हो रही हैं कि यह अब दूसरा चम्बल बनने जा रहा है । यहां पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की कथित हत्यायें हो रही हैं । गत 3 माह में लगभग 20 यादव गोली से उड़ा दिए गए ।

मान्यवर, मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इधर ले जाते हुए कहूंगा कि सैदपुर तीन जिलों, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, को मिला कर बना एक संसदीय क्षेत्र है । यहां के रहने वाले 80 प्रतिशत हरिजन कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के हैं । आज यहां का हर आदमी भयभीत है, आतंकित है । उसका सड़क पर चलना दूभर हो गया है । शाम की चिराग जलते ही लोग अपने घरों में घुस जाते हैं । हत्यारे और डकैत गोल बना कर खुले-आम घूमते हैं ।

अन्य प्रान्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश, के भी शातिर अपराधी यहां भारी संख्या में अपना अड्डा बना रहे हैं । अन्य प्रान्तों से तस्करी करने वाले गिरोह भी यहां अफीम आदि का क्षेत्र होने की वजह से अपना जाल बढ़ाते चले जा रहे हैं ।

माननीय गृह मंत्री जी तुरन्त इस मामले की गंभीरता को महसूस करें । इसे रोकने की दिशा में कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था करें एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को हिदायत दें कि वे इस सैदपुर को दूसरा चम्बल होने से अविलम्ब रोकें ।

(vii) Need to include Desi varieties of tobacco also under the provisions of Tobacco Board Act.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति महोदय, देश में कई प्रकार की तम्बाकू पैदा की जाती है, लेकिन तम्बाकू बोर्ड एक्ट में सभी प्रकार की तम्बाकू को शामिल नहीं किया गया है । सिर्फ वरजीनिया तम्बाकू का ही कार्यभार यह बोर्ड चलाता है । देसी बीड़ी तम्बाकू, रोर्स्टीका और नाटु आदि प्रकार की तम्बाकू पकाने वाले किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता है । उन्हें तो प्राइवेट व्यापारियों, दलालों के हाथ ही मरना होता है, क्योंकि इसको कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं है । इस कारण व्यापारियों के संगठन द्वारा बहुत कम कीमत पर यह तम्बाकू खरीदी जाती है और इन के पैसे भी सालों बाद मिलते हैं और इन लोगों के साथ कई प्रकार की धोखाधड़ी की जाती हैं । इन किसानों का इस तरह जो शोषण हो रहा है, उन्हें इससे बचाने के लिये वाणिज्य और कृषि मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वरजीनिया से अलग प्रकार की जो तम्बाकू देश में पैदा होती है, उन सब का तम्बाकू बोर्ड एक्ट में समावेश किया जाए । इस बारे में सरकार ने भी कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री मुखर्जी, की अध्यक्षता में टोबेको एक्सपर्ट ग्रुप की रचना की थी । उस ग्रुप ने भी ऐसी

[श्री मोतीभाई आर० चौधरी]

सिफारिश की है कि इस देसी बीड़ी तम्बाकू आदि को तम्बाकू बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत लिया जाए । अतः मेरा वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सिफारिश के मुताबिक तम्बाकू बोर्ड एक्ट में इस सत्र में संशोधन कर के ऐसा प्रावधान किया जाए कि तम्बाकू पकाने वाले किसानों को आने वाले सीजन में लाभ मिले । इस बारे में संसद् के पिछले सत्र में गुजरात के तम्बाकू पकाने वाले किसानों का प्रतिनिधि मंडल माननीय वाणिज्य और कृषि मंत्री जी को भी मिला था और उसी समय उन को यह आश्वासन भी दिया गया था कि उपरोक्त मामले में शीघ्र उन के हक में संशोधन किया जाएगा । इस सत्र में ही यह संशोधन हो जाए, यह मेरा अनुरोध है ।

(viii) NEED FOR A PROBE INTO ROTTING OF WHEAT DUE TO NEGLIGENCE OF RAILWAY AUTHORITIES AND THE F.C.I.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Sir, while India is importing wheat from the USA, a huge quantity of wheat is being damaged due to criminal negligence of railway authorities and the bungling of FCI.

On July 1, 1981, a consignment of wheat worth over Rs. 1.5 million was despatched in 19 open wagons from Doraha station in Punjab to Chakradharpur. The goods train carrying wheat reached Chakradharpur only on July 26, 1981. In the meantime, more than 10,000 quintals of wheat were damaged as the train was detained at Chandrapur Railway Station for 25 days.

More than 300 quintals of wheat have been declared unfit for human consumption. Yet, it has been sold to 3 flour mills.

This is not the first time that huge quantity of foodgrains has been destroyed in Chhotanagpur alone. In July 16,000 quintals of Punjab wheat was damaged at Ranchi and Tatisilway stations. Another big consignment of rotten wheat was received at Dhanbad station some timei back and the issue was referred to on the floor of the House. If the figures for the whole country are collected and publicised, the quantity of foodgrains which is damaged either in transit or in government godowns might come to lakhs of tonnes.

I ask the Minister for Food to take immediate action against erring officials for sending wheat in open wagons. The Railway Minister must fix the responsibility for the break-down of the goods train necessitating detention at Chandrapur.

16.52 hrs.

COAL MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL

AMENDMENTS MADE BY RAJYA SABHA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Sir, I beeg to move :

> 'That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Coal Mines Laour Welfare Fund Act, 1947, be taken into consideration:
>
> "*Enacting Formula*
> (1) That at page 1, line 1, *for* the word 'Thirty-first' the word 'Thirty-second' be *substituted*."
>
> "*Clause* 1
> (2) That at page 1, line 4, *for* the figure '1980' the figure '1981' be *substituted*."

MR. CHAIRMAN: Motion moved :